



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244228
CG-DL-E-10032023-244228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944

No. 1067]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ. 1111(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 326A एल.सी. नो. 414 का कि.मी. 33/100 Railway चिनगे कि.मी. 730/11.33 एंड एल.सी. नो. 31 का कि.मी. 2/100 (रेलवे चैनगे 33/900-1000) कि.मी. 0 से 41 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH326A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल डिप्यूटी कलेक्टर (एल.ए), यूनिट-IV श्रीकाकुलम	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH326A के कि.मी. 0 से 41 तक	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	पत्थापत्तनम	1 पाथपट्टनम 2 अंतरबा 3 प्रहराजापलेम 4 बुरगम 5 कोरसवाड़ा
					हीरमंडलम	1 टेम्पधनुपुरम
					सरवाकोटा	1 नौतला 2 धर्मालक्ष्मीपुरम 3 बोंथू 4 कुरुदिनगी 5 पोप्पांगी 6 गोरेबंदा 7 सर्वकोटा 8 थोगिरे 9 अंगुरु
					टेक्कली	1 लिंगालावालसा
					कोटाबोम्मली	1 नरायनवलासा
					जालुमुरु	1 जोननकी 2 राणा 3 चिन्नादुगम 4 टेक्कालीपाडु
					नरसनपेट:	1 दसुमनथुपुरम

						2 जम्मू
						3 गोदपल्ली

[फा. सं. Rc.No.2439/2016GI.Dt25.02.2023]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2023

S.O. 1111(E)—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of National Highway 326A L.C NO 414 AT KM.33/100 Railway chainage 730/11.33 and L.C.No.31 at Km.2/100 (Railway Chainage 33/900-1000) km. 0 to 41 of SRIKAKULAM in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH326A in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SPECIAL DEPUTY COLLECTOR (L.A),Unit-IV SRIKAKULAM 0	0KM To 41KM	ANDHRA PRADESH	SRIKAKULAM	Pathapatnam	1 Pathapatnam 2 Anthraba 3 Praharajapalem 4 Buragam 5 Korasawada
					Hiramandalam	1 Tempadhanupuram
					Saravakota	1 Nowthala 2 Dharmalakshmiapuram 3 Bonthu 4 Kurudingi 5 Poppangi 6 Gorrebanda 7 Saravakota

						8	Thogire
						9	Anguru
					Tekkali	1	Lingalavalasa
					Kotabommali	1	Narayanavalasa
					Jalumuru	1	Jonanki
						2	Rana
						3	Chinnadugam
						4	Tekkalipadu
					Narasannapeta	1	Dasumanthupuram
						2	Jammu
						3	Gottipalli

[F. No. Rc.No.2439/2016GI.Dt25.02.2023]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.